बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

24 फाल्गुन 1918 (श०)

(सं० पटना, 93) पटना, शनिवार, 15 मार्च, 1997

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1996

अधिसूचना

14 मार्च 1997

जी०एस०आर० 5, दिनांक 15 मार्च 1997—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(i) यह नियमावली "बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1996" कही जायेगी ।

(ii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषा—इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "बिहार प्रशासनिक सेवा" से अभिप्रेत है राज्य की प्रशासनिक सेवा ।
(ख "संवर्ग पदाधिकारी" से अभिप्रेत है बिहार प्रशासनिक सेवा का सदस्य ।
(ग) "कोटि" से अभिप्रेत है वेतनमान के अनुरूप पदों का वर्गीकरण जो संवर्ग में विनिश्चित हो ;
(घ) "संवर्ग पद" से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम-3 द्वारा निहित शक्तियों के रूप में राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा परिलक्षित पद ।
(ङ) "राज्य" से अभिप्रेत है, बिहार राज्य
(च) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग ।
(छ) "वर्ष" से अभिप्रेत है, पंचांग वर्ष ।

3. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का गठन—बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का गठन बिहार प्रशासनिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को मिलाकर होगा ।